

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 4/1/22

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 01
मुकदमा नंबर 190/2018

प्राथी	बनाम	विप्राथीगण
1. देवीलाल पुत्र श्री नरसीगाराम, उम्र 75 वर्ष जाति खारवाल, निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर (राज)		<ol style="list-style-type: none"> 1. धनराज पुत्र गेरारामजी 2. सुमेरमल पुत्र गेरारामजी 3. मांगीलाल पुत्र गेरारामजी 4. अमृतलाल पुत्र गेरारामजी 5. मदनलाल पुत्र गेरारामजी 6. कमलेश कुमार पुत्र गेरारामजी 7. उकाराम पुत्र कुनारामजी 8. सोहनराम पुत्र कुनारामजी 9. हीरालाल पुत्र कुनारामजी 10. सहदेव पुत्र कुनारामजी 11. मनोहरलाल पुत्र कुनारामजी 12. महादेव पुत्र बस्तीरामजी 13. सुरेश नारायण पुत्र रूपचंदजी 14. अमृतलाल पुत्र घेवरचंदजी 15. गुलाबचन्द पुत्र घेवरचंदजी 16. इन्द्रा पुत्री घेवरचंदजी पत्नी दौलतराम 17. सुशीला पुत्री घेवरचंदजी पत्नी बाबूलाल 18. संतोष पुत्री घेवरचंदजी 19. उर्मिला पुत्री घेवरचंदजी 20. पुष्पा बेवा शैतानसिंह 21. ममता पुत्री लुणाराम पत्नी सोहनराम 22. सरजू पुत्री शिवनारायण पत्नी जैसलसिंह 23. मदनदेवी पुत्री शिवनारायण पत्नी प्रेमप्रकाश सभी जातियान खारवाल निवासीयान पचपदरा 24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार - पचपदरा।

आदेश

दिनांक :- 31.12.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा वेदरलाई के पटवार हल्का रिछोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा में मूल खेत खसरा नंबर 207/32 रकबा 15-00 बीघा किस्म बा.अ. खसरा नंबर 212/48 रकबा 5-11 बीघा किस्म बा.अ. खसरा नंबर 213/48 रकबा 15-00 बीघा किस्म बा.दो. व खसरा नंबर 40 रकबा 50-01 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक /रीडर/ 2021/ 02

(नरेश सोनी)
उप-पञ्चायत अधिकारी
बालोतरा
दिनांक :- 4/1/22

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।

(नरेश सोनी)
उप-पञ्चायत अधिकारी
बालोतरा